राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कंमांक प0 1(3)राज–6/2011/पार्ट जयपुर, दिनांक 18/5/2017

–:परिपत्र:–

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (केन्दीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) दिनांक 01.01.2014 से प्रभावशील है।

अधिनियम 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत किसी भी समय सरकार को किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करना हो तब प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर यथास्थिति पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श से ऐसी रीति में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने का प्रावधान है।

केन्द्रीय अधिनिसम 2013 की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा नियम निर्मित कर राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशित किये जा चुके है। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन संबंधी कार्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के समाज विज्ञान संकायों, गैर सरकारी संस्थाओं एवं प्रोफेशनल के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान नियम 2016 के नियम 6 में रखा गया है। इस कार्य सम्पादन हेतु फीस भुगतान का भी प्रावधान है।

सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य निष्पादन हेतु परिपत्र दिनांक 03.05.2016 द्वारा पेनल सूची जारी की गई है, ताकि सामाजिक समाघात कार्य सुपुर्द करने हेतु एजेंसी सुलभ हो सके।

अतः परिपत्र दिनांक 03.05.16 से जारी सूची में जोडे जा रहे महाविद्यालयों के सामाजिक विज्ञान संकायों एवं गैर सरकारी संस्थान की सूची इस परिपत्र के माध्यम से आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया भूमि अवाप्ति हेतु पंचायत, नगरपालिका या नगरनिगम के साथ परामर्श कर पैनल की किसी ऐजेन्सी के माध्यम से किसी एक एंजेसी का चयन कर सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य सम्पादन कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0एस0 बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

acer/D/lalit/ईमेल **(dsrevenue6@gmail.com)**

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, राजस्व (स्वतंत्र प्रभार)
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव......................
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निबन्धक, राजस्व मंण्डल राजस्थान, अजमेर।
5. राविरा, अजमेर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

acer/D/lalit/ईमेल **(dsrevenue6@gmail.com)**

समाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण हेतु तैयार किये गये पैनल की सूचीः—

क्र0सं0	नाम	पद	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय
1.	डॉ0 बाबू सिंह	व्याख्याता, इतिहास	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा।
2	डॉ0 अरूण त्यागी	व्याख्याता, राजनीति विज्ञान	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा।
3.	डॉ0 हरिराम मीणा	विभागाध्यक्ष, भूगोल	बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय
4	श्री मुकेश कुराडिया	विभागाध्यक्ष, अथशास्त्र	बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय
5	Gujarat Environment Management Institute (GEMI)		
6	Prabhu Foundation, 84/165 Dhawalgiti marg Behind Cambiridge Court School Mansarovar, Jaipur-302020		